न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी जयपुर
(बइजलास सावन कुमार चायल आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं0:— 338/16 नया (258/2007 पुराना)
तारीख रज्जू :— 24/08/2007
निर्णय दिनांकः— 07/07/.2017

1. हीरालाल पुत्र पोखर जाति खटीक (मृतक)
   1/1 लालचन्द पुत्र हीरालाल
   1/2 कन्हेयालाल पुत्र हीरालाल
   1/3 राधेश्याम पुत्र हीरालाल
   1/4 विनोद पुत्र हीरालाल
   1/5 सरोज पुत्री हीरालाल
   1/6 शकुन्तला पुत्री हीरालाल
   1/7 अनिता पुत्री हीरालाल
   1/8 रतनी पुत्री हीरालाल
   1/9 प्रभाती पत्नी हीरालाल
2. नानगी पत्नी रामलाल
3. शंकर पुत्र रामलाल
4. मुकेश पुत्र रामलाल समस्त जातियान खटीक समस्त निवासीयान ग्राम पहाडिया तह0 फागी जिला जयपुर

(वादीगण)

बनाम

1. लालचन्द पुत्र आनन्दा
2. रुकमणी पत्नी आनन्दा
3. गोपी पुत्र गंगाराम
4. केसरा पुत्र गंगाराम
5. राधाकिशन पुत्र गंगाराम (मृतक दोराने वाद)
   5/1 सम्पती देवी पत्नी राधाकिशन
   5/2 कंचन पुत्री राधाकिशन
   5/3 सुनिता पुत्री राधाकिशन
   5/4 मुकेश पुत्र राधाकिशन
   5/5 राकेश पुत्र राधाकिशन
6. हजारी पुत्र गंगाराम
7. कजोड पुत्र मूल्या

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

8. झमरी पत्नी मूल्या (मृतक) (नाम हजफ)
9. जोहरी पुत्र मिश्रीलाल समस्त जातियान खटीक समस्त निवासीयान ग्राम पहाड़िया तह0 फागी जिला जयपुर
10. लाडा पत्नी घासी
11. नीलम पुत्र घासी
12. बृजमोहन पुत्र घासी
13. भागचन्द पुत्र घासी
14. आंची पत्नी प्रेमचन्द
15. अमरचन्द पुत्र प्रेमचन्द
16. राकेश पुत्र प्रेमचन्द समस्त जातियान खटीक समस्त निवासीयान जवाहर नगर कच्ची बस्ती टीला नं0 6 बी, जयपुर जिला जयपुर
17. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार फागी

(प्रतिवादीगण)

अधिवक्ता वादीगण :– श्री सुरेन्द्र शर्मा, रवि कुमार जैन एडवोकेट

अधिवक्ता प्रतिवादीगण :– श्री भोजराज सिंह, शेरसिंह नरुका एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 07/07/2017

निर्णय

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 1111, 1130, 1141, 1181, 1183, 1184, 1201, 1203, 1205, 1342, 1343, 1344, कुल कीता 12 कुल रकवा 30 बीघा, खसरा नं0 1118, 1202, 1373/1, 1373/4, 1406/3, कुल कीता 5 कुल रकवा 18 बीघा 3 बिस्वा वाकै ,ग्राम पहाडिया तह0 फागी जिला जयपुर राज0 में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात संयुक्त परिवार की पुश्तैनी आराजीयात है। प्रत्येक परिवार के सदस्य का नियमानुसार हिस्सा है तथा उसी हिस्सेनुसार मौके पर काबिज काश्त हैं। लगान सरकारी भी हिस्सेनुसार अदा करते आ रहे है। प्रस्तुत सिजरा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। नारायण के गंगाराम, पोखर, मुल्या, मिश्रीलाल व घासी पॉच लडके हुए, नारायण निधन सम्बत 2008 मे हो गया था, पर्चा सेटलमेंट सम्बत 2011 मे आया उस वक्त नारायण जीवित नही था, संयुक्त परिवार के मुताबिक जब पर्चे आये तो पर्चा नारायण के पॉचो लडको के नाम ही आना चाहिये था परन्तु प्रतिवादीगण ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए 3 भाईयो के नाम ही पर्चे आ गये जो पुर्णतया गलत है। नारायण के पॉचो लडको के नाम नियमानुसार पर्चा आना चाहिये था। प्रतिवादीगण पढे लिखे व्यक्ति थे तथा पारिवारिक जिम्मेदारीयो का वे ही निर्वहन करते आ रहे थे, राजस्व कर्मियो से प्रतिवादीगण का मेल जोल था अतएवं उन्होने मेलजोल का फायदा उठाते हुए विवादीत आराजीयात मूल्या, मिश्रीलाल, एवं घासी के नाम ही लगवा ली है। गंगाराम एवं पोखर के नाम विवादीत आराजीयात की प्रविष्टि नही आयी। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानो के मुताबिक सहोदर भ्राताओ का विवादीत आराजीयात मे बराबर–बराबर हिस्सा होना चाहिये तथा गंगाराम, पोखर, मुल्या, मिश्रीलाल, घासी, के वारीसान के नाम 1/5–1/5 हिस्सा के हिसाब से राजस्व अभिलेखो मे अकंन

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

होना चाहिये तथा उसी हिस्सेनुसार पक्षकारान मोके पर काबिज है। पक्षकारान का अपने 1/5–1/5 हिस्से पर कब्जा वरवक्त सेटलमेंट से चला आ रहा है। वादीगण का मौके पर कब्जा निरन्तर व निर्वाद्ध रुप से चला आ रहा है। इसलिए वादीगण ने कभी राजस्व अभिलेखो मे दुरस्त करवाने की कार्यवाही प्रारम्भ नही की, अत्यधिक प्रेम व स्नेह के कारण आपस में विश्वास करते हुए आ रहे थे,। यधपि मूल्या वगै0 ने वादीगण के पिता को नाम लगवाने हेतु कई मर्तवा कहा परन्तु आपसी प्रेमवशं वादीगण ने नाम लगवाने की कार्यव्ज्ञही नही की। जमीनो के भावो में अत्याशित वृद्वि हो जाने से खातेदारान की नियत मे संदेह उत्पन्न होने लगा है, वादीगण के नाम जमीन लगवाने से इंकार करने लगे। मूल्या का निधन 2006 मे हो गया निधन के पश्चात उसके वारीसान नामांतकरण खुलवाकर जमीन का विकय दीगर व्यक्ति को करना चाहते है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। दिनांक 20.08.2007 को मूल्या के वारीसान दीगर व्यक्तियो को आराजीयात विकय करने व जमीन नाम करवाने से इंकार होने पर पर वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। अतः वादीगण का वाद विरुद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा फरमाई जावे की विवादीत आराजीयातमें गंगाराम, पोखर, मूल्या, मिश्रीलाल, घासी, प्रत्येक के वारीसान का 1/5–1/5 हिस्सा है आदि का प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण उपस्थित होकर जबाब दावा प्रस्तुत किया, दोराने वाद वादी सं0 1 के फोत होने पर प्रार्थना पत्र कायम मुकामान स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण सं. 1/1 लगायत 1/9 तथा प्रतिवादी सं0 5 के फोत होने पर प्रतिवादीगण सं0 5/1 लगायत 5/5 पक्षकार कायम किये गये, तथा मृतक झमरी प्रतिवादी सं0 8 फोत होने पर उसके वारीसान पुर्व से ही रिकार्ड पर होने से झमरी पत्नी मूल्या का नाम हजफ फरमाया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी समझाईस से राजीनामा हुआ। पक्षकारान ने हाजीर अदालत उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया ओर निवेदन किया कि आराजी खसरा नं0 1406/3 रकवा 9 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम पहाडिया तह0 फागी स्थित आराजीयात में हिस्सा 1/2 मूलचन्द पुत्र नारायण का दर्ज राजस्व रिकोर्ड में है, प्रतिवादी सं0 7 मुलचन्द का वारीस है, मूलचन्द का फोती नामांतकरण नही खुला है, उक्त मूलचन्द के 1/2 हिस्से की भुमि मे रकवा 3 बीघा 13 बिस्वा भुमि से 1/2 हिस्सा वादी सं0 1/1 लगायत 1/9 के नाम व वादीनी सं0 2 नानगी के नाम 1/2 हिस्सा देना तय किया है। आराजी खसरा नं0 1342 रकवा 5 बीघा 14 बिस्वा भुमि वाकै ग्राम पहाडिया तह0 फागी स्थित में मूल्या पुत्र नारायण का हिस्सा 1/3 दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। प्रतिवादी सं0 7 मुलचन्द का वारीस है, मूलचन्द का फोती नामांतकरण नही खुला है, प्रतिवादी स0 7 कजोड द्वारा उक्त खसरा नं0 में से 1 बीघा 14 बिस्वा भुमि प्रतिवादी सं0 10 लाडा देवी को देना तय किया है। खसरा नं0 1406/3 रकवा 9 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम पहाडिया तह0 फागी स्थित आराजीयात में हिस्सा 1/2 आनन्दा, गोपी, राधाकिशन, हजारी पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड में है, प्रतिवादी सं0 5/1 लगायत 5/5 राधाकिशन के वारीसान है उक्त सभी अपने दर्ज हिस्से 1/2 भुमि में से 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि जोहरीलाल प्रतिवादी स0 9 को तथा 10 बिस्वा भुमि कजोड प्रतिवादी सं0 7 को देना तय किया है। शेष भुमि मुताबिक राजस्व रिकोर्ड यथावत रहेगी। इस पर राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

हमने वकील उभय पक्षकारान बहस सुनी गई तथा वादीगण ने अपने तथ्यो को दोहराते हुए मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया, प्रतिवादीगण ने भी अपनी सहमति प्रदान करते हुए मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने मे सहमति प्रदान की गई।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

हमने बहस वकील उभय पक्षकारान पर ध्यान पुर्वक मनन किया एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पक्षकारान द्वारा लोक अदालत की भावना से सदभावना पुर्वक राजीनामा प्रस्तुत किया है, इसलिए वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा विरुद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर खसरा नं0 1406/3 रकवा 9 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम पहाडिया तह0 फागी में मूलचन्द पुत्र नारायण के नाम दर्ज 1/2 हिस्से की भुमि मे से 3 बीघा 13 बिस्वा भुमि मे से 1/2 हिस्सा वादी सं0 1/1 लगायत 1/9 को व 1/2 हिस्सा का वादीनी सं0 2 नानगी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नं0 1342 रकवा 5 बीघा 14 बिस्वा भुमि वाकै ग्राम पहाडिया तह0 फागी स्थित में मूल्या पुत्र नारायण के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा की भुमि में से 1 बीघा 14 बिस्वा भुमि प्रतिवादी सं0 10 लाडा देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नं0 1406/3 रकवा 9 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम पहाडिया तह0 फागी स्थित आनन्दा, गोपी, राधाकिशन, हजारी पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज 1/2 मे से 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि का प्रतिवादी सं0 9 जोहरीलाल को तथा 10 बिस्वा भुमि का प्रतिवादी सं0 7 कजोड पुत्र मूल्या को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष भुमि का जमांबदी मे अंकन यथावत रहेगा। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07/07/2017 को फोलोअप कैम्प कोर्ट फागी पर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सावन कुमार चायल
उपखण्ड अधिकारी
फागी

16. राकेश पुत्र प्रेमचन्द समस्त जातियान खटीक समस्त निवासीयान जवाहर नगर कच्ची बस्ती टीला नं0 6 बी, जयपुर जिला जयपुर

17. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार फागी

(प्रतिवादीगण)

::– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 338/16 नया (258/2007 पुराना)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी **श्री सुरेन्द्र शर्मा, रवि कुमार जैन एडवोकेट** हाजिरी रूबरू प्रतिवादी **श्री भोजराज सिंह, शेरसिंह नरुका एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा विरुद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर खसरा नं0 1406/3 रकवा 9 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम पहाडिया तह0 फागी में मूलचन्द पुत्र नारायण के नाम दर्ज 1/2 हिस्से की भुमि मे से 3 बीघा 13 बिस्वा भुमि मे से 1/2 हिस्सा वादी सं0 1/1 लगायत 1/9 को व 1/2 हिस्सा का वादीनी सं0 2 नानगी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नं0 1342 रकवा 5 बीघा 14 बिस्वा भुमि वाके ग्राम पहाडिया तह0 फागी स्थित में मूल्या पुत्र नारायण के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा की भुमि में से 1 बीघा 14 बिस्वा भुमि प्रतिवादी सं0 10 लाडा देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नं0 1406/3 रकवा 9 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम पहाडिया तह0 फागी स्थित आनन्दा, गोपी, राधाकिशन, हजारी पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज 1/2 मे से 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि का प्रतिवादी सं0 9 जोहरीलाल को तथा 10 बिस्वा भुमि का प्रतिवादी सं0 7 कजोड पुत्र मूल्या को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष भुमि का जमांबदी मे अंकन यथावत रहेगा। मुताबिक निर्णय खर्चा डिक्री जारी हो।

निज.................मुबलिग..बाबत..खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.......................................फीसदी..........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक........... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07/07/2017 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
मुहर फागी (जयपुर)
ओहदा..........................

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	nil		स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	nil	

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास– **सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)**

उनवान

1. हीरालाल पुत्र पोखर जाति खटीक (मृतक)

   1/1 लालचन्द पुत्र हीरालाल

   1/2 कन्हेयालाल पुत्र हीरालाल

   1/3 राधेश्याम पुत्र हीरालाल

   1/4 विनोद पुत्र हीरालाल

   1/5 सरोज पुत्री हीरालाल

   1/6 शकुन्तला पुत्री हीरालाल

   1/7 अनिता पुत्री हीरालाल

   1/8 रतनी पुत्री हीरालाल

   1/9 प्रभाती पत्नी हीरालाल
2. नानगी पत्नी रामलाल
3. शंकर पुत्र रामलाल
4. मुकेश पुत्र रामलाल समस्त जातियान खटीक समस्त निवासीयान ग्राम पहाडिया तह0 फागी जिला जयपुर

(वादीगण)

बनाम

1. लालचन्द पुत्र आनन्दा
2. रुकमणी पत्नी आनन्दा
3. गोपी पुत्र गंगाराम
4. केसरा पुत्र गंगाराम
5. राधाकिशन पुत्र गंगाराम (मृतक दोराने वाद)

   5/1 सम्पती देवी पत्नी राधाकिशन

   5/2 कंचन पुत्री राधाकिशन

   5/3 सुनिता पुत्री राधाकिशन

   5/4 मुकेश पुत्र राधाकिशन

   5/5 राकेश पुत्र राधाकिशन
6. हजारी पुत्र गंगाराम
7. कजोड पुत्र मूल्या
8. झमरी पत्नी मूल्या (मृतक) **(नाम हजफ)**
9. जोहरी पुत्र मिश्रीलाल समस्त जातियान खटीक समस्त निवासीयान ग्राम पहाडिया तह0 फागी जिला जयपुर
10. लाडा पत्नी घासी
11. नीलम पुत्र घासी
12. बृजमोहन पुत्र घसी
13. भागचन्द पुत्र घासी
14. आंची पत्नी प्रेमचन्द
15. अमरचन्द पुत्र प्रेमचन्द